10/07/19

वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु होने के कारण दावा अबेट करने का प्रार्थना पत्र 16.8.18 को लगाया गया उसका आज दिनांक तक वकील वादी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है जबकि वकील वादी का कहना है कि उनके द्वारा जवाब पूर्व में ही पेश करा दिया गया। उन्होंने आज जवाब की एक प्रति न्यायालय में पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा एक प्रति प्रतिवादी के वकील को उपलब्ध करवायी गयी। वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र CPC 6-17 व वारिसान ~~की मृत्यु के उपरान्त~~ व प्रतिवादी की मृत्यु की उपरान्त उसको रिकार्ड पर नहीं लिये जाने पर दावा एबेट करने का प्रार्थना पत्र पर बहस की गई बहस पूर्ण होने के पश्चात पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र दिनांक 18-12-19 को पेश हो। [signature]

उपे-3 [signature]

पत्रावली पेश हुई, पत्रावली में दिनांक 11.12.2018 का वादीगण की ओर से दिनांक 13.11.14 को प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 एवं धारा 151 CPC व प्रतिवादी सं 3 ~~की मृत्यु होने के कारण वाद पत्र को अबेट किये~~ के वारिसान की ओर से दिनांक 16.8.18 को प्रतिवादी सं 3 की मृत्यु होने के कारण वादपत्र को अबेट किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रा. पत्र पर उभय पक्षों की बहस सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण ने आर्डर 6 रूल 17 CPC

[seal]

[signature] उपखण्ड अधिकारी

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	

के प्रार्थना पत्र के जरिये वादीगण/प्रार्थीगण के पिता का नाम केहरराम के स्थान पर गलती से केशराराम होने व वाद पत्र के पृष्ठ सं. 1 में पंक्ति सं 2 में व पृष्ठ सं 3 के पैरा सं एक की पंक्ति नम्बर दो में ग्राम भानीपुरा के खसरा नं. 1345/662/43 के स्थान पर खसरा न. 43/4 व 43/5 की शुद्धी चाही गई है, जिसका जवाब प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 6.12.17 को दिया गया है, वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में जो अपने पिता के नाम की शुद्धी चाही है इस शुद्धी के लिए वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा 29.2.2008 का आर्डर 6 रूल 17 एवं धारा 151 CPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर पिता के नाम की पुष्टि कर दी गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.2.2008 व आर्डरशीट दिनांक 29.2.2008 से यह साक्ष्य स्पष्ट है। जहां तक खसरा नम्बर की दुरूस्ती बाबत दुरूस्ती चाही गई है उसके संबंध में प्रा. पत्र में ना तो कोई आधार स्पष्ट किया गया है तथा ना ही कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, खसरा नं. के संबंध में वादीगण के वादपत्र, रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 2.7.1980 व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो वादपत्र, बेनामा व प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं. को गलत व मनमाने तरीके से अंकित किया जाना स्पष्ट है, क्योंकि वादपत्र के प्रथम पृष्ठ के पैरा सं 01 में वादीगण ने ग्राम भानीपुरा के खसरा नं. 1345/662/43 की 50 बीघा भूमि दिनांक 2.7.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदकर मूलसिंह पुत्र मोतीराम से ...

[illegible] अधिकारी … जिला–बीकानेर

जारी हुए

होकर आज तक कब्जा काश्त मे होना बतलाया है तथा इसी खसरा नं. 1345/662/43 की 50 बीघा हाल खसरा नं. 43/4 व 43/5 की 50 बीघा भूमि बाबत वादपत्र के पृष्ठ सं 3 के अनुतोष के पैरा सं 1 में अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा मूल खसरा नम्बर 1345/662/43 के आधार पर वादपत्र में अनुतोष चाहा है जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 2-7-1980 में मूलाराम पुत्र मोतीराम द्वारा ग्राम भानीपुरा के खसरा नं. 1349/662/43 की 50 बीघा भूमि वादीगण को विक्रय किया जाना अंकित है जिसका नामान्तरकरण सं 1211 दिनांक 15.11.80 को वादीगण के नाम से ग्राम भानीपुरा के खसरा नं. 1349/662/43 की 50 बीघा भूमि का स्वीकार हुआ है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा की भूमि वादीगण के नाम से दर्ज हुई है, तथा बैनामा दिनांक 2.7.1980 के साथ नक्शे में वादीगण की खरीदशुदा भूमि खसरा नं. 1349/662/43 की स्पष्ट रूप से दर्शायी गई है परन्तु वादीगण ने उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज में स्पष्ट रूप से वर्णित खसरा नं. को भ्रमित कर ~~मनमाने~~ मनमाने व गलत ढंग से वादपत्र में आर्डर 6 रूल 17 cpc के प्रार्थना पत्र के जरिये दुरुस्ती/संशोधन की मांग की है जबकि वादीगण ने विक्रेता से भूमि खसरा नं. 1349/662/43 की भूमि क्रय की है जो रजिस्टर्ड बैनामा, इन्तकाल सं 1211 व नक्शे से स्पष्ट है तो फिर वादपत्र में खसरा नम्बर 1345/662/43 की भूमि से खसरा

नम्बर 43/1 अथवा 43/4 व 43/5 की भूमि के स्थान पर संशोधन किये जाने का क्या औचित्य है एवं वादीगण के द्वारा यदि उनकी भूमि खसरा नं 1345/662/43 की भूमि होना माना गया है तो उसे सर्वप्रथम अपने पक्ष में हुए रजिस्टर्ड बैनामा को दुरुस्त/संशोधित करवाना चाहिए था तथा उसके पश्चात दावा पेश किया जाना था क्योंकि वादीगण ने जब दिनांक 2-7-1980 को भूमि क्रय की है उसके ~~भूमि में~~ नक्शे में भूमि खसरा नम्बर 1349/662/43 की भूमि अंकित है तथा उसके दक्षिण दिशा में 1347/661/43 की भूमि दर्शायी हुई है जो वर्तमान में नक्शे में भी 1349/662/43 के स्थान पर 43/1 व उसके दक्षिण में खसरा नं 1347/662/43 के स्थान पर 43/4 व 43/5 की भूमि दर्शायी हुई है जिसमें स्पष्ट है कि खसरा नं. 43/4 व 43/5 की भूमि प्रतिवादीगण की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि में वादीगण का कोई सरोकार नहीं है ऐसी स्थिति में वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 रूल 17 एवं धारा 151 CPC का आधारहीन गलत व मनमाने ढंग से प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादी सं 3 के वारीसान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.2018 बाबत प्रतिवादी सं 3 की मृत्यु होने के कारण वादपत्र अबेट किये जाने पर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, व पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं 3 की मृत्यु दिनांक 13.4.2008 को होने के पश्चात वादीगण

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की ओर से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं किये जाने से वादपत्र अबेट हो चुका है, वादीगण ने अपने जवाब में प्रतिवादी सं. 3 की मृत्यु से अनभिज्ञ होना अंकित किया है जबकि प्रतिवादी सं. 3 के वारिसान की ओर से दिनांक 16.8.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी वादीगण ने स्पष्ट जानकारी के पश्चात जानकारी के आधार पर भी वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की है तथा यह न्याय व कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृतक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चल सकती ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र उपरोक्त वर्णित विवेचना के आधार पर चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्तकरणीय है अतः वादपत्र वादी अबेट होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी पूगल, जिला–बीकानेर	

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की ओर से उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं किये जाने से वादपत्र अबेट हो चुका है, वादीगण ने अपने जवाब में प्रतिवादी सं 3 की मृत्यु से अनभिज्ञ होना अंकित किया है जबकि प्रतिवादी सं 3 के वारिसान की ओर से दिनांक 16.8.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात भी वादीगण ने स्पष्ट जानकारी के पश्चात जानकारी के आधार पर भी वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही नहीं की है तथा यह न्याय व कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृतक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चल सकती ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र उपरोक्त वर्णित विवेचना के आधार पर चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्तकरणीय है अतः वादपत्र वादी अबेट होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाता है। पत्रावली नतीजा से दर्ज की जाकर दफ्तर दाखिल हो।	
	उपखण्ड अधिकारी पूगल, जिला–बीकानेर	